No. A-12022/1/2018-Estbt(FBP)/
भारत सरकार / Govt. of India
जल शक्ति मंत्रालय / Ministry of Jal Shakti
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
Deptt. of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
महा प्रबंधक का कार्यालय / Office of the General Manager
फरक्का बराज परियोजना / Farakka Barrage Project

पो.-फरक्का बैरेज, जिला- मुर्शिदाबाद
P.O.-Farakka Barrage, Dist.-Murshidabad
पश्चिम बंगाल/West Bengal-742212
दिनांक / dated: /03/2023

Applications are invited for filling up 21 (twenty one) posts of Assistant in the Pay Matrix Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) by deputation (including short-term contract) in Farakka Barrage Project, a sub-ordinate office under MoJS, DoWR, RD & GR.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES

Responsible for fulfilling the file works assigned to him by Section Officers regarding establishment, general administration, vigilance, estate, procurement, budget, finance, coordination, etc. and to keep vigil on file management and movement of files.

3. ELIGIBILITY CRITERIA

Officers of the Central Government or State Government or Union Territories Administrations or Public Sector Undertaking, Statutory Organizations/Universities:

(i) Holding analogous post on regular basis, or
(ii) With 10 years regular service in the Pay Matrix level-4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the parent cadre/department; and possessing Degree from a recognized University.

Note 1: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation

4. PERIOD OF DEPUTATION

The period of deputation including period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall be not exceeding 3 years.

5. AGE

The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying services/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

7.Any officer once selected shall not be allow dot withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation(duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No. 6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in Annexure-I to IV should reach to the General Manager, Farakka Barrage Project, P.O. Farakka Barrage, Dist. Murshidabad (West Bengal) 742212 within **60 days** from the date of issue of this circular or publication of this advertisement in the Employment News whichever is later. All applications will be treated in strict confidential. Those from Government and Public Sector should apply "Through proper channel". Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

10. Application of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma as given in **Annexure-2** (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance Clearance as given in **Annexure-3** (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on officer, if any, during the last ten years as given in **Annexure-4** and (v) Integrity Certificate as given in **Annexure-5** and (vi) Cadre Clearance.

11. The details of advertisement and the application forms can also be downloaded from the FBP's website- **www.fbp.gov.in**

Sandeep Kumar

(Sandeep Kumar)
Superintending Engineer(Coord)

Annexure-1

1	Name of Post	Assistant
2	Number of Posts	21 (Twenty one)
3	Classification	General Central Service Group 'B' Non- Gazetted Ministerial
4	Pay Matrix	Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400/)
5	Period of deputation	The period of deputation including period of deputation in ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years
6	Duties and responsibilities of the post	Responsible for fulfilling the file works assigned to him by Section Officers regarding establishment, general administration, vigilance, estate procurement, budget finance, coordination etc. and to keep vigil on file management and movement of files.
7	Pay & Allowances	The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No. 6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time)
8	Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	Officers of the Central Government or State Government or Union Territories Administrations or Public Sector Undertaking, Statutory Organizations/Universities: (i) Holding analogous post on regular basis, or (ii) With 10 years regular service in the Pay Matrix level-4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the parent cadre/department; and possessing Degree from a recognized University. Note 1: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.
9	Age	The maximum age limit for appointment on deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of the applications.

Annexure-2

Bio Data Proforma

1. Name and address (in Block Letters) :
   Telephone Number:

2. Date of Birth (in Christian era) :

3. Date of retirement under Central Government Rules :

4. Educational Qualifications:

5. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

Qualifications / Experience	Qualifications / Experience possessed by the Oficer
Essential	
Desirable	

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.

7. Details of employment in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Office/Institution/ Organisation	Post held and service / cadre to which it belongs	From	To	Pay in the Pay Matrix and classification of post	Nature of duties

8. Nature of present employment, i.e.

   (i) Ad-hoc basis
   (ii) Regular / on temporary basis
   (iii) Pay in the Pay Matrix

9. In case the present employment is held on deputation / contract basis, please state:

   (a) The date of initial appointment:
   (b) Period of appointment on deputation / contract
   (c) Name of the parent office/organization to which you belong

10. Additional details about present employment. Please State whether working under:
    (a) Central Government
    (b) State Government
    (c) Autonomous organization
    (d) Government Undertaking
    (e) Universities

11. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale

12. Total emoluments per month now drawn:

13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.

14. Whether belonging to SC/ST

15. Remarks

Signature of the candidate

Date:

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his/her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

Annexure-3

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

Certified that no vigilance case or disciplinary proceedings or criminal proceedings is either pending or contemplated against Dr. /Shri/Smt./Mr. ……………………………………………………, who has applied for the post of ______________________________ in the ____________________________ on deputation basis

(Authorized signatory)
Name & Office Seal:
Date:

Annexure-4

NO PENALTY CERTIFICATE

Certified that no minor/major penalty has been imposed during the last ten years on Dr. /Shri/Smt./Mr. ……………………………………………………, who has applied for the post of ______________________ in the ____________________________ on deputation basis

(Authorized signatory)
Name & Office Seal:
Date:

Annexure-5

INTEGRITY CERTIFICATE

After scrutinizing Annual Confidential Report of Dr. /Shri/Smt./Mr. ……………………………………………………, who has applied for the post of ____ in the ____________________________ on deputation basis, it is certified that his/her integrity is beyond doubt.

(To be signed by an officer of the rank of Deputy Secretary or above)
Name & Office Seal:
Date:

संख्या ए 12024/1/2018–स्थापना(फ.ब.प)

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

महाप्रबन्धक का कार्यालय

फरक्का बराज परियोजना

पो.–फरक्का बराज, जिला–मुर्शिदाबाद

पश्चिम बंगाल – 742212

दिनांक: /2023

जल शक्ति मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग में एक अधीनस्थ कार्यालय फरक्का बराज परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर पे मैट्रिक्स लेवल–6 (रू 35400–112400/–) में सहायक का 21 (इक्कीस) पद प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व

स्थापना, सामान्य प्रशासन, सतर्कता, संपदा खरीद, बजट, वित्त समन्वय आदि के संबंध में अनुभाग अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपे गए फाइल कार्यों को पूरा करने और फाइल प्रबंधन और फाइलों की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार।

3. पात्रता मानदंड

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,सांविधिक/विश्वविद्यालयों के अधिकारी:

(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना, या

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर–4 (रू 25500–81100/–) में 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखने वाले।

टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पहले एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना की गई है। बढ़ाए गए तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा के रूप में समझा जाएगा, सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व–संशोधित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन के साथ एक ग्रेड में विलय कियागया हो। या वेतनमान और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

4. **प्रतिनियुक्ति की अवधि**

प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्र रारकार के समान या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद (एक्स–कैडर) पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. **आयु**

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापसलेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियक्ति आदेष जारी किए जाने के एक बाह के अन्दर कार्यमुक्त करे।

8. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009–स्थापना (वेतन–II) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

9. अनुलग्नक–I से IV में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन यह परिपत्र जारी होने अथवा रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से 60 दिन के अंदर महाप्रबन्धक, फरक्का बराज परियोजना, पी.आ. फरक्का बराज, जिला– मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) 742212 को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे के बिना किए गए आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

10. मात्र ऐसे अधिकारी/अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) **अनुलग्नक–2**में दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत्त (चार प्रति) (ii) अवर सचिव अथवा इससे उपर के स्तर के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) **अनुलग्नक–3** में दिए प्रपत्र में सतर्कत्ता स्वीकृति (iv) **अनलग्नक–4** के प्रपत्र के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए, यदि कोई हो, बड़ी या छोटी शास्ति का ब्यौरा और (v) **अनुलग्नक–5** के अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो।

11. विज्ञापन और आवेदन का प्रारूप फरक्का बराज परियोजना की वेब साइट–fbp.gov.inसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।

संदीप कुमार

(संदीप कुमार)
अधीक्षण अभियंता (समन्वय)

अनुलग्नक–1

	पद का नाम	सहायक
2	पदों की संख्या	21 (इक्कीस)
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' गैर–राजपत्रित अनुसचिवीय
4	पे मैट्रिक्स	लेवल – 6 (रू 35400–112400/–)
5	प्रतिनियुक्ति की अवधि	प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य कैडर–बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अवधि सहित सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6	पद के कर्त्तव्य एवं दायित्व	स्थापना, सामान्य प्रशासन, सतर्कत्ता, संपदा खरीद, बजट, वित्त समन्वय आदि के संबंध में अनुभाग अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपे गए फाइल कार्यों को पूरा करने और फाइल प्रबंधन और फाइलों की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।
7	वेतन एवं भत्ते	चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009–स्थापना (वेतन–II) (समय–समय पर यथा–संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड पे और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा।
8	पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और पात्रता	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक संगठनों/विष्वविद्यालयों के अधिकारीः (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स स्तर–4 (रू 25500–81100/–) में 10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ; और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखने वाले। टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए चिार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना की गई है। बढ़ाए गए वेतन को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाए गए तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा के रूप में समझाा जाएगा, सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व–संशोधित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया हो अथवा वेतनमान और जहां यह लाभ केवल उस पर (पदों) के लिए विसतारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।
9	आयु	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

जीवन–वृत्त प्रपत्र

1. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)
   टेलीफोन नम्बर
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में)
3. केन्द्र सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख
4. शैक्षिक योग्यता
5. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शेक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं। (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)

अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
अनिवार्य	
वांछित	

6. कृप्या आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं
7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली–भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें) :

कार्यालय/संस्था/संगठन का नाम	धारित पद और सेवा/कैडर जिससे यह संबंधित है	से	तक	वेतन मैट्रिक्स में भुगतान और पद का वर्गीकरण	कार्य का स्वरूप

8. वर्त्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात
   (i)तदर्थ
   (ii) स्थाई/अस्थाई आधार पर
   (iii) वेतन मैट्रिक्स में वेतन
9. वर्त्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृप्या उल्लेख करें
   (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
   (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि
   (ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम
10. वर्त्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण:
    कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं–
    (क) केन्द्र सरकार
    (ख) राज्य सरकार
    (ग) स्वायत्त संगठन
    (घ) सरकारी संगठन
    (ङ.) विश्वविद्यालय

11. क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।
12. वर्त्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां
13 अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तताके समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हों। यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।
14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।
15. अभ्युक्तियां

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः

यह पुष्टि की जाती है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सतपित कर ली गई है और सही पायी गयी है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर और मोहर

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–3

सतर्कता निकासी प्रमाण–पत्र

पुष्टि की जाती है कि कि डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री/.. जिन्होंने ....में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ....के पद के लिए आवेदन किया है, के विरूद्ध न तो कोई सतर्कता निकासी अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक कार्रवाई लंबित है और न ही शुरू किए जाने का विचार है।

(प्राधिकृत अधिकारी)
नाम और कार्यालय की मोहर

दिनांक :

अनुलग्नक–4

शास्ति प्रमाण–पत्र

पुष्टि की जाती है कि कि डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री/................ .... जिन्होंने ....में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ....के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगायी गयी है।

(प्राधिकृत अधिकारी)
नाम और कार्यालय की मोहर

दिनांक :

अनुलग्नक–5

सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र

डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री/..जिन्होंने ....में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ....के पद के लिए आवेदन किया है, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है।

(उप सचिव अथवा उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है)
नाम और कार्यालय की मोहर

दिनांक :